इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 16287-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१२ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, अंक तथा शब्द "२३ जून, १९८०" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, अंक तथा शब्द "२३ जून, १९८०" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति ४. (१) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक २ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) की धारा ३ में यह उपबंध है कि किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमियां, जिन पर ऐसे ग्राम के निवासियों ने २३ जून, १९८० के पूर्व, निवास के प्रयोजन के लिए किसी भवन का परिनिर्माण कर लिया हो, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकारों में आवंटित की जाएंगी तथा उक्त भूमियों का उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निवासियों के साथ बंदोबस्त, भूमिस्वामी अधिकारों में किया जाएगा.

२. राज्य सरकार की जानकारी में यह आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे अनेक निवासियों को, जिनका दखलरहित भूमि पर २३ जून, १९८० के पश्चात् गृह स्थान के रूप में आधिपत्य रहा हो, ऐसी भूमि में भूमिस्वामी अधिकार नहीं मिल सके हैं. दखलरहित भूमि पर गृह स्थान रखने वाले ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह विनिश्चित किया गया है कि मूल अधिनियम को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाए.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक २ सन् २०१२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जुलाई, २०१२.

करणसिंह वर्मा
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य सरकार की जानकारी में यह आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे अनेक निवासियों को, जिनका दखलरहित भूमि पर, २३ जून १९८० के पश्चात् गृह स्थान के रूप में आधिपत्य रहा हो, ऐसी भूमि में भूमिस्वामी अधिकार नहीं मिल सके हैं. दखलरहित भूमि पर गृह स्थान रखने वाले ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से मूल अधिनियम को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना अत्यावश्यक था. विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इस कारण मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक २ सन् २०१२) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 4345-241-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 24 OF 2012

THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI (VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title,

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act), for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and words "31st day of December, 2011" shall be substitued.

Amendment of Section 5.

3. In Section 5 of the Principal Act, for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and word "31st December, 2011" shall be substituted.

Repeal and saving.

4. (1) The Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhyadesh, 2012 (No. 2 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is provided in Section 3 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970 (No. 26 of 1970) that all unoccupied lands in a village on which inhabitants of such village have, prior to the 23rd day of June, 1980 efected any building for the purpose of residence, be allotted and settled with such inhabitants in Bhumiswami rights in accordance with the provisions of the said Act.

2. It has come to the notice of the State Government that several inhabitants of rural areas, who has been in possession of homestead after 23rd June, 1980 on unoccupied land could not get the Bhumiswami rights on such land. With a view to confer Bhumiswami rights to such inhabitants having homesteads in unoccupied land, it has been decided to amend the principal Act, suitably.

3. As the matter was urgent and the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhyadesh, 2012 (No. 2 of 2012) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

4. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED, the 16th July 2012.

KARAN SINGH VERMA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.